न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियां, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 46/16

बलकीत सिंह पुत्र स्व. इन्द्र सिंह जाति बावरी, निवासी 2 एफ डी तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1.रामदास पुत्र मुख्त्यार सिंह जाति बावरी, निवासी 2 एफडी "बी" तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2.स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए उप तहसीलदार गजसिंहपुर

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश उप तहसीलदार, गजसिंहपुर का वसीयत प्रकरण 38/1 निर्णय दिनांक 15.06.2016 के संबंध में।

उपस्थित : श्री कुलविन्द्र सिंह , अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री बलकरण सिंह बराड, अधिवक्ता,रेस्पोडेन्ट संख्या 01
राजकीय अधिवक्ता, स्टेट की ओर से

आदेश दिनांक : 22–3–2017

हस्तगत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के पिता इन्द्रसिंह के नाम चक 2 एफडी"बी"के खाता संख्या 5 के पत्थन नम्बर 244/222, के मु.न. 48 के किला नम्बर 1 ता 10, 18, 23, 24 में 3.163 हैक्टेयर भूमि व इसी चक में अन्य भूमि थी। अपीलांट के पिता इन्द्र सिंह के देहान्त हो चुका है। पिता की सम्पत्ति में अपीलांट व तमाम वारिसान का हक व अधिकार है। रेस्पोडेंट ने अपीलांट के पिता के नाम से एक फर्जी वसीयत चक 2 एफडी के पत्थर नम्बर 244/222 के मुरब्बा नम्बर 48 के किला नं 1 ता 4 की 4 बीघा भूमि की दिनांक 19.07.2012 को वसीयत बनवाकर दिनांक 20.07.2012 को पंजीयन करवा ली। अपीलांट के पिता की मृत्यु के बाद अपीलांट व अन्य वारिसान को बिना बताए भूमि का इंतकाल रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपने नाम करवा लिया। अपीलांट के पिता ने अपीलाधीन भूमि की कोई वसीयत अपने जीवनकाल में नहीं की थी और न ही वह वसीयत करने में सक्षम था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व वसीयत की वैद्यता की कोई जांच नहीं की और न ही

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

गवाहान से वसीयत में वर्णित भूमि की कोई जांच की है। रेस्पोडेंट ने वसीयत में वसीयत ग्रहिता का नाम रामदास पुत्र मुख्त्यार सिंह अंकित करवाया है जबकि रामदास पुत्र मुख्त्यार सिंह नाम का कोई व्यक्ति नहीं है और न ही रामदास पुत्र मुख्त्यार सिंह का कोई दस्तावेज है। इन्द्रसिंह के किसी पोते का नाम रामदास पुत्र मुख्त्यार सिंह नही है। रामदास पुत्र बंता सिंह जाति बावरी निवासी साबूआना तहसील टिब्बी है जो इन्द्र सिंह का पोता नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने रामदास पुत्र मुख्त्यार सिंह के अस्तित्व में होने की कोई जांच नही की। वसीयत ग्रहिता ने अधीनस्थ न्यायालय में कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया। करतार सिंह ने बिना अधिकार दुर्भावना पूर्वक अपीलाधीन भूमि को हडप करने बाबत आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जबकि उसे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नही था। अधीनस्थ न्यायालय ने अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर निर्णय पारित कर गलती की है। अपीलांट इन्द्र सिंह का पुत्र है और इन्द्र सिंह के अन्य वारिसान भी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट व अन्य वारिसान को सुनवाई व साक्ष्य का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन इंतकाल पारित करने का अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की गैर हाजरी में एक पक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश 15.06.2016 निरस्त फरमाया जावे।

अपील से सम्बन्धित रिकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराते हुए कहा है कि अपीलांट के पिता इन्द्रसिंह के नाम चक 2 एफडी"बी"के खाता संख्या 5 के पत्थन नम्बर 244/222, के मु.न. 48 के किला नम्बर 1 ता 10, 18, 23, 24 में 3.163 हैक्टेयर भूमि व इसी चक में अन्य भूमि थी। अपीलांट के पिता इन्द्र सिंह के देहान्त हो चुका है। पिता की सम्पत्ति में अपीलांट व तमाम वारिसान का हक व अधिकार है। रेस्पोडेंट ने अपीलांट के पिता के नाम से एक फर्जी वसीयत चक 2 एफडी के पत्थर नम्बर 244/222 के मुरब्बा नम्बर 48 के किला नं 1 ता 4 की 4 बीघा भूमि की दिनांक 19.07.2012 को वसीयत बनवाकर दिनांक 20.07.2012 को पंजीयन करवा ली। अपीलांट के पिता की मृत्यु के बाद अपीलांट व अन्य वारिसान को बिना बताए भूमि का इंतकाल रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपने नाम करवा लिया। अपीलांट के पिता ने अपीलाधीन भूमि की कोई वसीयत अपने जीवनकाल में नहीं की थी और न ही वह वसीयत करने में सक्षम था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व वसीयत की वैद्यता की कोई जांच नहीं की और न ही गवाहान से वसीयत में वर्णित भूमि की कोई जांच की है। रेस्पोडेंट ने वसीयत में वसीयत ग्रहिता का नाम रामदास पुत्र मुख्त्यार सिंह अंकित करवाया है जबकि रामदास पुत्र मुख्त्यार सिंह नाम का कोई व्यक्ति नहीं है

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

और न ही रामदास पुत्र मुख्त्यार सिंह का कोई दस्तावेज है। इन्द्रसिंह के किसी पोते का नाम रामदास पुत्र मुख्त्यार सिंह नही है। रामदास पुत्र बंता सिंह जाति बावरी निवासी साबूआना तहसील टिब्बी है जो इन्द्र सिंह का पोता नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने रामदास पुत्र मुख्त्यार सिंह के अस्तित्व में होने की कोई जांच नही की। वसीयत ग्रहिता ने अधीनस्थ न्यायालय में कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया। करतार सिंह ने बिना अधिकार दुर्भावना पूर्वक अपीलाधीन भूमि को हडप करने बाबत आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जबकि उसे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नही था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट व अन्य वारिसान को सुनवाई व साक्ष्य का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की गैर हाजरी में एक पक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश 15.06.2016 निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के सम्बन्ध में सार्वजनिक सूचना दैनिक समाचार पत्र सीमा संदेश में प्रकाशित करवाई है। पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। अपीलाधीन रकबा, जिसकी वसीयत वसीयतकर्त्ता द्वारा की गई है, वह वसीयतकर्त्ता का खातेदारी, स्वयं अर्जित आवंटन शुदा रकबा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत की पूर्ण रूप से जांच की गई है तथा वसीयत के गवाहान से वसीयत का सत्यापन करवाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजी साक्ष्य का गहनता से अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध करवाये गए अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि करतार सिह पुत्र इन्द्र सिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.05.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत पर आपत्ति बाबत 15 दिन का सार्वजनिक सूचना दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन करवाये जाने का आदेश पारित किया। आपत्ति सूचना दैनिक सीमा संदेश के दिनांक 21.05.2016 के अंक में प्रकाशित हुई है। पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। वसीयतनामा उप पंजीयक, गजसिंहपुर द्वारा दिनांक 20.07.2012 को पंजीबद्ध किया गया है। वसीयतकर्त्ता इन्द्रसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र पत्रावाली पर उपलब्ध है। वसीयत के गवाहान करतार सिंह व बलवन्त सिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर वसीयत का सत्यापन किया है। जमाबंदी चक 2 एफडीबी सम्वत् 2070–73 रिकॉर्ड पर ली गई है, जिसके अनुसार चक 2 एफडीबी के पत्थर नं 244/222, मुरब्बा नं 48 की 3.1630 हैक्टेयर नहरी भूमि वसीयतकर्त्ता इन्द्रसिंह पुत्र नानक सिंह जाति बावरी

अति. कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

के नाम से दर्ज है। हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि दोनों खातों की कुल 6.098 हैक्टेयर भूमि वसीयतकर्त्ता इन्द्रसिंह के नाम से दर्ज है। उपरोक्त कृषि भूमि अलॉटमैंट शुदा है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए, सार्वजनिक आपत्ति सूचना पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर दिनांक 15.06.2016 को अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। जहां तक पंजीबद्ध वसीयत का प्रश्न है। यदि अपीलांट पंजीबद्ध वसीयत से व्यथित है तो वह सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोई कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

फलस्वरूप, अपीलकर्त्ता की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति के साथ रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 22–3–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

22/3/17

(करतारसिंह पूनियाँ)
अति० जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner